बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

3330(S) पटना, दिनांक 03/5/18

अधिसूचना

सं0–प्र03/स्था0 01–01/2015– भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, बिहार पथ निर्माण विभाग अवर अभियंत्रण (असैनिक) संवर्ग की भर्त्ती एवं सेवा शर्त्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

भाग–I

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ। – (1)** यह नियमावली "बिहार पथ निर्माण विभाग, अवर अभियंत्रण (असैनिक) संवर्ग भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त नियमावली, 2018" कही जा सकेगी।

   (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

   (3) यह तुरंत प्रवृत होगी।

2. **परिभाषाएँ। –** इस नियमावली में जब तक कोई बात विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो:–

   (i) "सरकार" से अभिप्रेत है बिहार सरकार;

   (ii) "विभाग" से अभिप्रेत हैं, पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार;

   (iii) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है, पथ निर्माण विभाग के अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव अथवा विभाग द्वारा इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत अन्य कोई पदाधिकारी;

   (iv) "आयोग" से अभिप्रेत है, बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग अथवा उसके कार्यरत होने तक बिहार कर्मचारी चयन आयोग;

   (v) "संवर्ग" से अभिप्रेत है, बिहार पथ निर्माण विभाग अवर अभियंत्रण (असैनिक) संवर्ग;

   (vi) "संवर्ग के सदस्य" से अभिप्रेत है इस नियमावली के प्रावधानों के अधीन नियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत व्यक्ति;

3. **संवर्ग का गठन। –** बिहार पथ निर्माण विभाग, अवर अभियंत्रण (असैनिक) संवर्ग के अधीन मूल कोटि का पद "कनीय अभियंता (असैनिक)" होगा। इस पद के लिए सरकार द्वारा, समय–समय पर यथा विनिश्चित वेतनमान एवं ग्रेड–पे देय होगा।

4. **स्वीकृत बल। –** इस संवर्ग का स्वीकृत बल राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विनिश्चित किया जायेगा।

5. **आरक्षण। –** बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम–1991 (अधिनियम–3, 1992) (समय–समय पर यथा संशोधित) एवं उसके अधीन बनायी गयी नियमावली के प्रावधान एवं संकल्प सं0 963 दिनांक 20.01.16 द्वारा यथा विहित महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण के प्रावधान तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर, यथा विहित रोस्टर एवं आरक्षण के प्रावधान इस संवर्ग की नियुक्ति में लागू होंगे।

भाग–II

संवर्ग में नियुक्ति

6. **नियुक्ति।** – इस संवर्ग में प्रथम नियुक्ति, सीधी भर्त्ती द्वारा, कनीय अभियंता (असैनिक) के पद पर होगी। इस पद पर प्रोन्नति के आधार पर कोई प्रवेश नहीं होगा।

7. नियुक्ति प्राधिकार प्रत्येक वर्ष पहली अप्रैल को रिक्तियों की गणना कोटिवार करेंगे एवं तद्नुसार विभाग के माध्यम से आयोग को 30 अप्रैल तक आरक्षण कोटिवार अधियाचना भेजी जायेगी।

8. नियम–7 के तहत की गई अधियाचना के आधार पर आयोग, समय–समय पर, उस रीति से जैसा की वह उचित समझे, इस संवर्ग की आरक्षण कोटिवार रिक्तियों को, सीधी भर्ती द्वारा, भरने के लिये विज्ञापित करेगा।

9. **अहर्त्ताएँ।** – (1) इस संवर्ग में नियुक्त होने के लिए अहर्त्ता निम्नवत् होगीः–

(i) अभ्यर्थी का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है।

(ii) अवर अभियंत्रण संवर्ग के लिए असैनिक अभियंत्रण में डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यताधारी।

(iii) चयन हेतु तकनीकी पात्रता/अहर्त्ताः–

(क) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त संस्थानों के असैनिक अभियंत्रण (Civil Engineering) के डिप्लोमाधारी जिन्हें संबंधित तकनीकी शिक्षा पर्षद/विश्वविद्यालय के द्वारा डिप्लोमा प्रदत्त हो, अथवा

(ख) UGC Act के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित DEEMED University द्वारा Non-Distance Mode में असैनिक अभियंत्रण में प्रदत्त डिप्लोमा बशर्ते कि उक्त DEEMED University को असैनिक अभियंत्रण (Civil Engineering) में डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्वीकृति प्राप्त हो।

(2) अधियाचना वर्ष के 1ली अगस्त, को अभ्यर्थी की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम आयु राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) के द्वारा समय–समय पर आरक्षण कोटिवार विनिश्चित उम्र सीमा के अंतर्गत होना चाहिए किन्तु संविदा के आधार पर पूर्व से नियोजित कनीय अभियंताओं (असैनिक) के लिये अधिकतम उम्र सीमा में अधिकतम 10 वर्षों की छूट अनुमान्य होगी।

10. **चयन की प्रक्रिया।** – **(1)** – इस संवर्ग के मूल कोटि के कनीय अभियंता (असैनिक) के पदों पर चयन डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता में प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर आयोग द्वारा किया जायेगा। बिहार सरकार या बिहार सरकार के अधीन किसी उपक्रम/निगम/निकाय/प्राधिकार/स्वशासी निकाय में संविदा के आधार पर कनीय अभियंता (असैनिक) के पद पर कार्य करने का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी, जो इस संवर्ग में भर्त्ती

की अहर्त्ता पूरी करते हैं, को चयन मे इस नियम के उप नियम–(2)(ख) के अनुसार अतिरिक्त अंक देकर अधिमानता दी जायेगी।

(2) **अभ्यर्थियों की मेधा सूची निम्न आधार पर तैयार की जायेगीः –**

			<u>पूर्णांक</u>
(क)	डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता के प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर	–	75 अंक
(ख)	संविदा के आधार पर कार्य करने के निमित्त अधिकतम अधिमानता (प्रति कार्यरत वर्ष के लिए 5 अंक जिसकी अधिकतम सीमा 25 अंक की होगी। किसी वर्ष के अंश के लिए कार्यरत दिवसों की संख्या में संख्या 5 से गुणा करने के पश्चात 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा)।	–	25 अंक
		कुल –	**100 अंक**

(3) संविदा के आधार पर कार्यरत अवधि का विनिश्चिय संबंधित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत वेतन भुगतान प्रमाण–पत्र के आधार पर किया जाएगा। इस हेतु आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में अंकित कट–ऑफ डेट की अवधि तक की गणना कार्य अनुभव के लिए की जा सकेगी।

(4) असैनिक डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों की कनीय अभियंता (असैनिक) के रूप में नियुक्ति निम्नलिखित रीति से की जाएगीः–

(क) इस नियमावली के नियम–5 के तहत कुल रिक्त पदों का आरक्षण कोटिवार 40 प्रतिशत पद राज्य के अधीन सरकारी पोलिटेक्निक संस्थानों से असैनिक डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहेंगे। जिन्हें उपरोक्त नियम–10 (2) के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत तैयार आरक्षण कोटिवार मेधा सूची के आधार पर, भरा जाएगा।

(ख) शेष रिक्ति इस नियमावली के नियम–9(1)(iii) द्वारा निर्धारित पात्रता/अहर्त्ता के आधार पर नियम–10 (2) में निर्धारित प्रक्रिया के तहत तैयार आरक्षण कोटिवार मेधा सूची के आधार पर भरी जाएगी।

(ग) कंडिका–(ख) के रिक्त पदों के सामान्य प्रक्रिया से भरे जाने के पश्चात् मेधा सूची के आधार पर कंडिका–(क) के अवशेष आरक्षित पदों को राज्य के अधीन सरकारी पोलिटेक्निक से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से आरक्षण कोटिवार मेधा क्रम में, चयन द्वारा, भरा जाएगा।

11. आयोग नियम–10 के अनुसार चयनित उम्मीदवारों की अंतिम मेधा सूची तैयार करेगा एवं उसे सरकार को नियुक्ति हेतु अनुशंसित करेगा। आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों का पैनल एक वर्ष के लिए वैध होगा।

भाग–III

प्रोन्नति एवं वरीयता

12. **प्रोन्नति।** – कनीय अभियंता (असैनिक) के पद से उच्चतर पदों पर प्रोन्नति, बिहार अभियंत्रण सेवा नियमावली में विनिश्चित प्रावधानों के अधीन की जाएगी।

13. **वरीयता का अवधारण।** – आयोग द्वारा अनुशंसित मेधा क्रम के अनुसार, कनीय अभियंताओं (असैनिक) की वरीयता का अवधारण विभाग द्वारा किया जाएगा। पूर्व से नियुक्त एवं कार्यरत कनीय अभियंताओं की वरीयता अक्षुण्ण रहेगी।

भाग–IV

प्रकीर्ण

14. **अनुशासन, नियंत्रण एवं अपील।** – (1) बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के प्रावधान अनुशासन, नियंत्रण एवं अपील के मामले में, बिहार पथ निर्माण विभाग अवर अभियंत्रण (असैनिक) संवर्ग के सदस्यों पर लागू होंगे।

(2) इस नियमावली मे विशिष्ट रूप से अनुपबंधित सेवा शर्तें, बिहार सेवा संहिता एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य निर्णयों से शासित होगी।

15. **कठिनाईयों का निराकरण।** – इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, विधि विभाग से परामर्श के पश्चात्, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस नियमावली के प्रावधानों से असंगत न हो, ऐसा प्रावधान कर सकेगी जो कठिनाईयों के निराकरण के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत होता हो।

16. **अवशिष्ट मामले।** – (1) इस संवर्ग के सभी अवशिष्ट मामले पथ निर्माण विभाग की अधिकारिता के अधीन होंगे।

(2) इस नियमावली में से किसी भी नियम के निर्वचन में किसी संदेह की दशा में उसे विभाग को निर्दिष्ट किया जाएगा, और जिस पर विभाग का विनिश्चिय, विधि विभाग के परामर्श के पश्चात् अंतिम होगा।

17. **निरसन एवं व्यावृति। –** (1) इस संदर्भ में वर्त्तमान नियमावली/विनियमावली को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है, किन्तु पूर्व नियमावली से आच्छादित कनीय अभियंता इस नियमावली द्वारा शासित होंगे।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त नियमावली/विनियमावली के अधीन किया गया अथवा की गयी कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया अथवा की गयी मानी जायेगी मानों यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी जब ऐसा कुछ भी किया गया अथवा ऐसी कार्रवाई की गई थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

26.4.18

(अमृत लाल मीणा)
सरकार के प्रधान सचिव।

26/4/18

P.T.O

पटना, दिनांक......................................

सं0–प्र03 / स्था0 01–01 / 2015– बिहार पथ निर्माण विभाग, अवर अभियंत्रण (असैनिक) संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्त्त नियमावली, 2018 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड(3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उक्त अधिसूचित नियमावली, 2018 का प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

26.4.18

(अमृत लाल मीणा)
सरकार के प्रधान सचिव।

26/4/18
Date..............................

No. S3/Estt. 01-01/2015- In exercise of the powers conferred under the proviso to Article-309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following Rules to regulate the recruitment and service condition of Bihar Road Construction Department Subordinate Engineering (Civil) cadre:-

Part-I

1. **Short title, extent and commencement.** - (1) These Rules may be called the "BIHAR ROAD CONSTRUCTION DEPARTMENT SUBORDINATE ENGINEERING (CIVIL) CADRE RECRUITMENT AND SERVICE CONDITION RULES, 2018".

   (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

   (3) It shall come in force at once.

2. **Definitions.** - In these Rules, unless otherwise requires in the subject or context:-

   (i) "Government" means the Government of Bihar;

   (ii) "Department" means Road Construction Department, Government of Bihar;

   (iii) "Appointing Authority" means the Engineer-in-chief-cum-Additional Commissioner-cum-Special Secretary of Road Construction Department or any other Officer authorized by the department for this purpose;

   (iv) "Commission" means The Bihar Technical Staff Selection Commission or The Bihar Staff Selection Commission till it starts functioning;

(v) "Cadre" means The Bihar Road Construction Department Subordinate Engineering (Civil) Cadre;

(vi) "Member of Cadre" means, all persons, regularly appointed and working under the provisions of these Rules.

3. **Constitution of the cadre.** - "Junior Engineer(Civil)" will be the post of basic category under the Bihar Road Construction Department Subordinate Engineering (Civil) cadre. The pay scale and grade pay as determined by the Government, from time to time for this post, shall be payable.

4. **Sanctioned strength.** - The sanctioned strength of this Cadre shall be determined by the State Government, from time to time.

5. **Reservation.** - The provisions of the Bihar Reservation of Vacancies in posts and services (for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act-1991 (Act-3, 1992) (as amended from time to time) and the Rules made there under and the horizontal reservation for women issued by Resolution No. 963 dated 20.01.2016 and the roster and reservation as prescribed by the State Government, from time to time, shall be applicable to the appointment of this cadre.

Part-II

Appointment in the Cadre

6. **Appointment.** - First appointment in this Cadre will be, by direct recruitment, to the post of Junior Engineer (Civil). There shall be no entry on this post on the basis of promotion.

7. The appointing authority shall calculate the vacancies category wise on 1st April of every year and accordingly, the reservation category wise requisition will be sent through the department to the Commission by 30th April of every year.

8. On the basis of requisition made under Rule-7, the Commission, by such manner as it may deem proper, shall advertise the reservation category wise vacancies of this Cadre for filling by direct recruitment.

9. **Qualifications. -** (1) Qualifications for appointment in this cadre shall be as follows:-

(i) A Candidate must be a citizen of India;

(ii) For the subordinate Engineering Cadre, diploma or equivalent qualification holder in civil engineering;

(iii) Technical eligibilities/qualification for selection:-

(a) Diploma holder in Civil Engineering from the Institutes recognized by **AICTE**, who have been granted Diploma from the concerned Education Board/University; or

(b) Diploma granted in Civil Engineering in Non-Distance Mode Diploma from DEEMED University established under the provisions of The UGC Act provided that sanction of UGC for conducting diploma course in Civil Engineering to the said DEEMED University has been received.

(2) Age of applicant must be minimum 18 years on 1st August of the requisition year. Maximum age shall be within the reservation category wise Age-limit determined by the State Government (General Administrative Department), from time to time but relaxation of maximum 10(ten) years will be admissible to the Junior Engineers (Civil), already employed on contract basis, in the maximum age - limit.

10. **Procedure of selection. -** (1) Selection to the posts of basic category of Junior Engineer (Civil) of this cadre shall be made by the Commission on the basis of percentage of marks obtained in Diploma or equivalent qualification. Candidates having experience of working on the post of Junior Engineer (Civil) on contract basis under the Government of Bihar or in any Undertaking/Corporation/Body/Authority/Autonomous Body under the Government of Bihar, who fulfill the qualifications of the recruitment in this cadre, shall be given preference by giving additional marks according to sub rule(2)(b) of these Rules.

(2) Merit list of candidates shall be prepared on the following grounds:-

		Full Marks
(a) On the basis of percentage of marks obtained in Diploma or equivalent qualification	-	75
(b) Maximum weightage for the working experience on contract basis (weightage of per working year shall be 5 marks maximum limit of which will be up to 25 marks. For part of any year, obtained proportionate mark by dividing by 365 to the no. of working days in that year multiplying by number 5, will be added)	-	25
	Total -	**100 Marks**

(3) Determination of working period on the contract basis shall be made on basis of Payment Certificate issued by their respective Controlling Officers. For this, the period up to the cut-off date mentioned in the advertisement published by the Commission may be calculated for the working experience.

(4) **Appointment of the Civil Diploma holder candidates as Junior Engineer (Civil) shall be made in the following manner:-**

(a) Reservation category wise, 40% posts of total vacant posts under Rule 5 of these Rules shall be reserved for the Civil Diploma holder candidates from the Government Polytechnic Institutes under the State which will be filled on the basis of merit list prepared reservation categorywise under the determined procedure by said Rule 10 (2).

(b) Remaining vacant post shall be filled on the basis of merit list prepared reservation categorywise under the determined procedure in Rule 10(2) and on the basis of determined elgibilities/qualifications by Rule 9 (1) (iii).